न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा नम्बर 130/2013 — दायर दिनांक–18.06.2013

1. प्रभुराम पुत्र गुलाराम (मृतक)
   1/1 सरबती देवी पत्नी प्रभुराम
   1/2 दुर्गाप्रसाद पुत्र प्रभुराम
   1/3 कुल्डाराम पुत्र प्रभुराम
   1/4 मंजूदेवी पुत्री प्रभुराम
   1/5 सोनी देवी पुत्री प्रभुराम
   1/6 छोटी देवी पुत्री प्रभुराम
   1/7 ममता देवी पुत्री प्रभुराम
2. प्रमोद पुत्र गुलाराम जाति गुर्जर निवासीगण रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादीगण

1. गंगा देवी पत्नी गुलाराम
2. मनभरी पुत्री गुलाराम
3. राजू देवी पुत्री गुलाराम
4. मोहनी देवी पुत्री गुलाराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5. बनवारी पुत्र कालूराम
6. देवाराम पुत्र कालूराम
7. मुकेश पुत्र कालूराम
8. राकेश पुत्र कालूराम
9. संतोष देवी पुत्री कालूराम
10. बिल्लू देवी पुत्री कालूराम
11. गीता देवी पुत्री कालूराम
12. ममता देवी पुत्री कालूराम
13. छोटी देवी पुत्री कालूराम
14. श्रवणी देवी पत्नी कालूराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण भोजगढ़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अशोक कुमार जांगिड़
वकील प्रतिवादी :– श्री रामाकांत गौड़

दावा बाबत : इस्तकरार हक व
दुरूस्ती रिकॉर्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक–16.04.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम रामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 211, 212, 213, 325, 326, 327, 39[illegible] [illegible] 0.[illegible] 0.04, 0.73, 0.06, 1.74, 1.76 कुल किता 7 कुल रकबा 5.52 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण [illegible] 1 [illegible]ायत 4 प्रत्येक को 1/6 व 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण [illegible] 5 लगायत 14 के पिता व पति स्व0 कालूराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे। इसी अनु[illegible] राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती [illegible] हुए वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 [illegible] रिकॉर्ड में जोड़ा जाने का आदेश [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 04 की ओर से वकील श्री रामाकांत गौड़ ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 की ओर से जबाब दावा पेश नही करने पर तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु प्रमोद कुमार पुत्र गुलाराम का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात् प्रदर्श 1 लगायत 22 पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 के पूर्वज स्व0 गुलाराम के तीन पुत्र कालूराम, प्रभूराम तथा प्रमोद हुए। जिनमे से कालूराम 5 वर्ष की आयु में ही अपने बुआ ननुदेवी पुत्री चंद्राराम जाति गुर्जर निवासी भोजगढ के गोद चला गया था। उक्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 का कब्जा काश्त है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड स्व0 कालुराम के नाम से गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है। जिसे दुरूस्त किया जाकर उक्त कालुराम के हिस्से की भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। बहस वकील वादी का मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रिक भूमि है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज चला आ रहा है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादीगण न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम रामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 211, 212, 213, 325, 326, 327, 390 रकबा क्रमशः 0.02, 1.17, 0.04, 0.73, 0.06, 1.74, 1.76 कुल किता 7 कुल रकबा 5.52 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार कालूराम का नाम हजफ किया जाकर कालूराम के हिस्से के खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:57 IST
Reason: SelfAttested

43

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : इश्तकरार हक, दुरूस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा सं0:– 130/2013 (**प्रभूराम बनाम गंगा देवी आदि**)

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 16.04.2025 निर्णय अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम रामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 211, 212, 213, 325, 326, 327, 390 रकबा क्रमशः 0.02, 1.17, 0.04, 0.73, 0.06, 1.74, 1.76 कुल किता 7 कुल रकबा 5.52 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार कालूराम का नाम हजफ किया जाकर कालूराम के हिस्से के खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.04.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:57 IST
Reason: SelfAttested